उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 07 चैत्र, शक संवत्, 1940

(दिनांक : 20 मार्च, 2018)

समय : 03 : 00 बजे अपराह्न

1. शुभारम्भ "वन्दे मातरम्" (देखिये नत्थी "**क**")।
2. माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनायेंगे।
3. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी–"**ख**")

4. निधन के निदेश।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 19 मार्च, 2018

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी"क"

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शष्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी"ख"

<u>कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में दिनांक 20 मार्च, 2018 से 24 मार्च, 2018 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-</u>

<u>मार्च, 2018</u>

20 मंगलवार	1.	माननीय राज्यपाल का अभिभाषण (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
	2	श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ (अपराह्न 03.00 बजे)
	3	निधन के निदेश।
21 बुद्धवार	1	पत्रादि का सदन के पटल पर रखा जाना।
	2	अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।
	3	औपचारिक कार्य।
	4	माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।
	5	विधायी कार्य– उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)
22 गुरूवार	1	माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।
	2	माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण।**(अपराह्न 4.00 बजे)**
	3	विधायी कार्य।
23शुक्रवार	1	बजट पर सामान्य चर्चा।
	2	असरकारी कार्य– <u>वर्तमान सत्र के निम्नलिखित संकल्पों के प्रस्तुतीकरण–</u> 1. श्री देशराज कर्णवाल, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े

वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियां की जाय"।

2. श्री धन सिंह नेगी "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुर्नगठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय"।

3. काजी मौ0 निजामुद्दीन,"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायधीश से कराई जाय"।

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय"।

5. श्रीमती ममता राकेश, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय"।

वर्तमान सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः–

"यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।"

3. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

24शनिवार

1 बजट पर सामान्य चर्चा।

2 विधायी कार्य।

3. सतत् विकास के लक्ष्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा।(दो घंटा)

4 असरकारी कार्य–

<u>विगत सत्र के असरकारी संकल्प</u>

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।'' (30 मिनट)

2. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।'' (30 मिनट)

3. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'' (30 मिनट)

4. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।" (30 मिनट)

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :–

"देहरादून–मसूरी–सुवाखोली–अलमस–भवान–नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून–मसूरी–कैम्टीफाल–यमुनापुल–नौगांव–बड़कोट–जानकीचट्टी मोटर मार्ग को आलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाये।" (30 मिनट)

6. श्री धन सिंह नेगी सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।" (30 मिनट)

विगत सत्र के नियम–105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।" (30 मिनट)

2.श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव

पर चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय।" (30 मिनट)

3.श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जायें।" (30 मिनट)

<u>विगत सत्र के नियम–54 की सूचना</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा–

"प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।" (30 मिनट)